न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 58/16 **निर्णय दिनांकः— 24.09.2018**

1. सीताकौर पुत्री सुच्चासिंह पत्नि बलवन्त सिंह जाति रायसिख निवासी चक 21 बीडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. बलवन्त सिंह तथाकथित पुत्र सुच्चा सिंह
2. वीर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
3. लखवीर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
   जाति रायसिख निवासी चक 21 बीडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज.।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 08—07—2016
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः

1. श्री जयचन्द लाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री कृष्ण बेनीवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय व डिक्री दिनांक 08—07—2016 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 21 बीडी के मुरब्बा नम्बर 75/43 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि बतौर भूमिहीन टीसी से पुख्ता अपीलांटा की माता हुक्मकौर बेवा सुच्चा सिंह को दिनांक 11—03—1974 को आवंटित हुई थी। उक्त आवंटन प्रार्थना पत्र में अपीलांटा ही एकमात्र सन्तान के रूप में दर्ज थी। वादगत् भूमि को अपीलांटा एवं उसकी माता हुक्मकौर ने काफी मेहनत कर कृषि योग्य बनाया है तथा वादगत् भूमि के बाबत् तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई गई है। उक्त भूमि चिपते मुरब्बा नम्बर 76/33 के किला नम्बर 24 व 25 की 2 बीघा भूमि स्माल पेच में आवंटित करवाते हुए तमाम भूमि की खातेदारी हासिल की गई।

उन्होनें आगे बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाते हुए सुच्चासिंह के पुत्र के रूप में अपना नाम दर्ज करवा लिया गया। जिस पर अपीलांटा ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने हकों के लिए दाव धोषणात्मक व चिरनिषेधाज्ञा का प्रस्तुत करने पर दिनांक 28—12—2010 को वादगत् भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिस पर प्रतिवादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उक्त भूमि जरिये दानपत्र दिनांक 21—12—2010 को ही उसके नाम दर्ज हो चुकी है। वादगत् भूमि के बाबत् प्रतिवादीगण के नाम दर्ज इंतकाल को भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि इसी दौरान अपीलांटा की माता हुक्मकौर की मृत्यु होने से अधिनस्थ न्यायालय में जाजय कानूनी वारिसान को पक्षकार बनाये जाने हेतु निर्धारित की गई थी। जिस पर अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं करते हुए दिनांक 08—07—2016 को कैम्प कोई 14 बीडी ग्राम पंचायत भवन में वकुलाय फरीकेन उपस्थित दर्शाते हुए न्याय की मंशा व आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंधन करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा गिफ्ट डीड के संबंध में किसी प्रकार का कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष जैरकार वाद में जवाब दावा व जवाबुल जवाब दावा प्रस्तुत होने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई तनकीयात् कायम नहीं की गई ना किस किसी पक्षकार को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा मात्र सरसरी तौर पर सीधे ही यह कहकर अपीलांट का दावा खारिज कर दिया गया कि रजिस्टर्ड दान पत्र को निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिए थी। अदालत मातहत का उक्त निष्कर्ष न्याय की मंशा व विधि के प्रतिकूल है। जिसे पारित करने में अदालत मातहत द्वारा कानूनी भूल कारित की गई है।

वादगत् भूमि के संबंध में इंतकाल संख्या 194 निरस्ती आदेश दिनांक 03—01—2013 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर में अपील संख्या 22/12 उनवान हुक्मकौर बनाम सीताकौर पेश कर रखी थी जो अपील दिनांक 27—07—2016 को अपीलांटा/वादिया के पक्ष में निर्णित कर दी गई। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा तमाम तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए व उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में बिना तनकीयात कायम किये व बिना साक्ष्य व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये मात्र सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल कारित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष जैरकार वाद को इस आधार पर खारिज किया गया है कि वादगत् भूमि हुक्म कौर की खातेदारी भूमि थी जिसकी उसने दिनांक 21—12—2010 को उपपंजीयक कार्यालय, खाजुवाला में रजिस्टर्ड दान पत्र करवाया गया है यदि वादिया रजिस्टर्ड दान पत्र को निरस्त करवाना चाहती है तो सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर सकती हैं। इसी प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश जैर अपील में यह भी अभिलिखित किया गया है कि वादिया ने जब वादपत्र प्रस्तुत किया था उस समय हुक्मकौर जिन्दा थी व वादगत् भूमि हुक्मकौर की स्वअर्जित खातेदारी भूमि थी ऐसी स्थिति में वादिया वादगत् भूमि का कोई क्लेम नहीं कर सकती है।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पूर्ण रूप से विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में जहॉ तक वादगत् भूमि का संबंध है उक्त भूमि की तमाम किश्तें खजानाराज में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जमा करवाई गई तथा खातेदारी हकूक प्राप्त किये गये है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम के उक्त रकबे को बिना किसी दबाव के व बिना किसी नशा पत्ता किये पूर्ण होशों हवाश में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 21—12—2010 को बतौर उपहार दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का उक्त दिनांक से ही वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उन्होनें आगे बताया कि वादिया/अपीलांटा का वास्तविक नाम सुमित्रा पत्नि बलवन्त सिंह है जबकि उसने सीताकौर पत्नि बलवन्त सिंह के नाम से झूठा दावा पेश किया है जिसका प्रमाण मतदाता सूची में अंकित है। ऐसी स्थिति में अपीलांटा/वादिया द्वारा मिथ्या कथनों के साथ अदालत मातहत के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र/जवाब दावा व जवाबुल जवाब दावा के आधार पर तमाम दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि चक 21 बीडी के मुरब्बा नम्बर 75/43 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि के बाबत् दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अदालत मातहत द्वारा वादी का दावा इस तथ्य के आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट/वादिया को रजिस्टर्ड दान पत्र को निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिए थी।

(3) प्रकरण में वादिया द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष जैरकार वाद में वादपत्र/जवाबदावा आदि के आधार पर बिना तनकीयात् कायम किये व बिना साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किये आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा बिना वाद प्रक्रिया को अपनाये ही आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है।

(4) चूंकि प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांटा का पुत्र है अथवा नहीं? इस संबंध में अदालत मातहत को चाहिए था कि वह संबंधित तहसीलदार से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अपीलांटा जोकि हुक्मकौर की जाजय पुत्री है, के वादगत् भूमि पर हक व हकूकों का निर्धारण करने से पूर्व सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच किया जाना अपरिहार्य था।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 हुक्मकौर का पुत्र है अथवा नहीं?इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार का कोई गोदनामा आदि प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे साबित हो कि प्रतिवादी संख्या 1 का गोद पुत्र हो।

(5) अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार प्रकरण में दिनांक 03—06—2014 को प्रकरण प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने पर उसके कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र पर जैरकार थी। अदालत मातहत द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी/विवेचन अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा मात्र सरसरी तौर पर प्रकरण

के निपटारे के उद्वेश्य मात्र से कैम्प कोर्ट का सहारा लेते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

(6) उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला के समक्ष प्रस्तुत वाद धारा 88, 89 व 188 का था जिसमें प्रतिवादी को सुनवाई व जबाव का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। वाद में साक्ष्य लेकर न्यायिक विवेचना करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था किन्तु इस प्रकरण में वाद प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है, केवल मात्र निर्णय पारित करने के उद्वेश्य मात्र से बिना प्रक्रिया अपनाये, बिना साक्ष्य लिये सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर वादी/प्रतिवादीगणों के हक व हकूकों की समुचित जांच की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08—07—2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद प्रक्रिया को अपनाते हुए अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर